

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>आसिफ इकबाल बनाम लो.सू.अधिकारी ( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर )</p> <p>सू.अ.अ.अपील सं० 253/2023 ( )</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>05.02.24</p>	<p>अपीलार्थी आसिफ इकबाल निवासी ई-163, गली नम्बर 3, वेस्ट विनोदनगर, दिल्ली ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 17.10.2023. में उसके द्वारा (1) वर्ष 2020, 2021 व 2022 में विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 5/13 के अन्तर्गत विवाह अनुष्ठापन एवं धारा 5/16 के अन्तर्गत पंजीकृत हुए विवाहों, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष ( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष ( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से जरिये पत्रांक 1354 दिनांक 13.12.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रभारी अधिकारी, न्यायालय शाखा को लिखा जाकर सूचना प्राप्त की गई तथा प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 1274 दिनांक 17.11.23 द्वारा उपलब्ध करवा दी गई थी।</p> <p>चूंकि अपीलार्थी/प्रार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है अतः अपील अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	

